

अध्याय XIV : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

14.1 वित्त वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए केजी-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक के हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभाजन ठेके की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

पी.एस.सी. ब्लॉक के कई मुद्दों की पिछली लेखापरीक्षा (2006-12) में उठाया गया था वे अभी भी बने रहे। पूर्व में चिन्हित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के कारण 2012-14 के दौरान अतिरिक्त लागत वसूली का कुल प्रभाव यू.एस.डी. 1547.85 मिलियन (₹9307.22 करोड़) था। 2012-14 की अवधि के लिए, ऑपरेटर द्वारा दावित आधिक लागत वसूली के अतिरिक्त मुद्दे पाये गये, जिसका वित्तीय प्रभाव यू.एस.डी 46.35 मिलियन (₹278.70 करोड़) था। डी 29, डी. 30 कुओं के लिए परिक्षण (एम.डी.टी.) पर दावित लागत वसूली जिसे पी.एन.जी.एम.ओ. के हाल ही के दिशा-निर्देशों (मई 2015) के अनुरूप उचित रूप से प्रदत्त तथा वापिस होनी चाहिए थी। ऑपरेटर ने डी 31 की खोज छोड़ दी थी तथा इस खोज से संबंधित सभी लागत वसूलियाँ लौटानी थी। इसी बीच एक स्वतंत्र विशेषज्ञ मे. डी. गोल्यर एवं मैकनाटन (डी.एवं एम.) की रिपोर्ट ने संकेत किया ओ.एन.जी.सी. द्वारा संचालित संलग्न ब्लॉक से के.जी.डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक को गैस का प्रवाह इस ब्लॉक के वित्तीय क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

14.1.1 प्रस्तावना

अप्रैल 2000 में, जी.ओ.आई. ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.)-1 चक्र के अंतर्गत विश्वव्यापी प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) के नेतृत्व के एक संघ को के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन -98/3 ब्लॉक (के.जी.-डी 6 ब्लॉक) प्रदान किया। आर.आई.एल. का 90 प्रतिशत भागीदारी हित (पी.आई) था और एक कनाडा कम्पनी, निको रिसोर्सेज लिमिटेड (निको) को शेष 10 प्रतिशत पी.आई. था। 2011 में आर.आई.एल. ने अपना 30 प्रतिशत पी.आई. से बी.पी. एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड (बी.पी.) को सौंप दिया। मार्च 2014 को 60, 30 तथा 10 प्रतिशत पी.आई. के क्रमशः आर.आई.एल., बी.पी. तथा निको से बना ठेकेदार था। ब्लॉक के 'प्रचालक' के रूप में आर.आई.एन. बना हुआ था।

के.जी. डी. 6 ब्लॉक का उत्पादन सहभाजन ठेका(पी.एस.सी.) अप्रैल 2000 में हस्ताक्षर किया गया था। 2002 तथा 2012 के बीच किए गए अन्वेषण कार्यकलापों के आधार पर ब्लॉक में कुल 19 हाइड्रोकार्बन खोज की गई थीं। इन 19 खोजों में से, एक (डी. 26 एम.ए. आयल फील्ड) प्राथमिक रूप से एक तेल खोज है और शेष गैस खोजें हैं। एम.ए. आयलफील्ड से तेल उत्पादन सितम्बर 2008 में आरम्भ हुआ जबकि डी. 1-डी. 3 फील्ड से गैस उत्पाद अप्रैल 2009 में आरम्भ हुआ।

14.2 निष्पादन विश्लेषण

14.2.1 संचयी वित्तीय ब्यौरे:

तालिका 1: 2012-13 तथा 2013-14 वर्षों के लिए व्यय, बिक्री राजस्व, प्रॉफिट पेट्रोलियम (पी.पी.) के ब्यौरे (जैसे प्रचालन द्वारा सूचित किए गए)

(राशि मिलियन यू.एस.\$ में)

विवरण	2012-13	2013-14	31.3.2014 को संचयी
व्यय	436.23	615.31	11,057.29
बिक्री राजस्व	1637.00	904.92	11,073.65
आकस्मिक अन्य	62.77	0.84	157.91
कुल राजस्व	1699.77	905.76	11,231.56
वसूल लागत	1529.79	815.18	10,108.40
पी.पी.	169.98	90.58	1,123.16
पी.पी. जी.ओ.आई. शेयर (10 प्रतिशत)	17.00	9.06	1,12.31
पी.पी. ठेकेदार शेयर	152.98	81.52	1,010.84

मार्च 2014 तक ब्लॉक में किया गया कुल व्यय यू.एस. \$10,057.29 मिलियन था (खोज: यू.एस. \$1095.18, विकास: यू.एस. \$7,752.03 तथा उत्पादन: यू.एस. \$2,210.08 मिलियन)।

14.2.2 ओ.एन.जी.सी. के समीपस्थ ब्लॉकों से गैस निकालने से संबंधित मामला:

के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक पूर्वी अपतट (के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. 98/2 तथा गोदावरी पी.एम.एल. क्षेत्र) में ओ.एन.जी.सी. ब्लॉकों के समीपस्थ है। ओ.एन.जी.सी. ने आशंका व्यक्त की (दिसम्बर 2013) कि उसके ब्लॉकों का भण्डार के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. - 98/3 ब्लॉक में फैला है और कि ठेकेदार द्वारा के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. 98/3 में वेधित चार कुएं वास्तव में इस सामूहिक भण्डार से गैस निकाल रहे थे। मामला दिल्ली उच्च न्यायलय में पहुँचाया गया था (मई 2014) जिसने ब्लॉक सीमाओं में भण्डार निरंतरता का मूल्यांकन करने के लिए जुलाई 2014 में ओ.एन.जी.सी. तथा आर.आई.एल. दोनों के सामंजस्य से नियुक्त किसी स्वतंत्र पैनल से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद छः माह की अवधि के अन्दर की जाने वाली कार्रवाई पर निर्णय लेने का सरकार को निर्देश देते हुए सितम्बर 2015 में मामले का निपटारा कर दिया। स्वतंत्र विशेषज्ञ मै. डी गोल्यर एण्ड मैकनाटन (डी. एण्ड एम.) अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है (नवम्बर 2015)।

रिपोर्ट दर्शाती है कि 31 मार्च 2015 को आरम्भिक मौजूद गैस में से गोदावरी पी.एम.एल. में 49.32 प्रतिशत और के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/2 (क्लस्टर 1) में 34.71 प्रतिशत स्थानांतरित हो गई थी जिसमें से 85.15 प्रतिशत (गोदावरी पी.एम.एल. से संबंधित) और 73.25 प्रतिशत (के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. 98/2 से संबंधित) के.जी.-डब्ल्यू.-98/3 ब्लॉक क डी-1 डी-3 क्षेत्रों के माध्यम से उत्पादित की गई थी। रिपोर्ट में गैस स्थानांतरण का उच्च भाग और 2019 के अंत तक आर.आई.एल. प्रचालित के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.98/3 ब्लॉक के माध्यम से इसका उत्पादन अनुमानित किया गया।

डी. एण्ड एम. रिपोर्ट के आधार पर, सरकार ने रिपोर्ट पर विचार करने और तीन माह की अवधि के अन्दर ओ.आर.डी.¹ अधिनियम और पी.एस.सी. में शामिल सहित कानूनी, वित्तीय तथा ठेकागत प्रावधानों को ध्यान में रखकर सरकार को भावी कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक सदस्सीय समिति (न्यायमूर्ति ए.पी.शाह) नियुक्त की है (दिसम्बर 2015)।

¹ ओ.आर.डी.: ऑयल फिल्ड (रेगुलेशन एण्ड डेवेलपमेंट) अधिनियम, 1948

यदि एम.ओ.पी.एन.जी. डी. एण्ड एम. रिपोर्ट निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि आर.आई.एल. ओ.एन.जी.सी. के समीपस्थ क्षेत्रों से गैस निकाले और आर.आई.एल. को उसके लिए ओ.एन.जी.सी. को प्रतिपूर्ति करने का निर्देश देता है तब यह प्रचालन की इसकी सम्पूर्ण अवधि में कोस्ट पेट्रोलियम, प्रोफिट पेट्रोलियम, रायल्टी तथा करों सहित के.जी.-डीडब्ल्यू.एन. -98/3 की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है (अप्रैल 2009 से जब ब्लॉक से गैस का उत्पादन आरम्भ हुआ)।

14.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

14.3.1 विगत प्रतिवेदनों में उल्लिखित मामलों का बने रहना

के.जी. -डी.डब्ल्यू.एन. -98/3 ब्लॉक के प्रचालन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा दो दौर में एम.ओ.पी.-एन.जी. तथा डी.जी.एच. की निष्पादन लेखापरीक्षा के साथ 2006-07 से 2011-12 तक की अवधि के लिए की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष दो प्रतिवेदनों, 2011-12 का सी.ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (ए.आर.) सं. 19 तथा 2014 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.-24 में सूचित किए गए थे। दोनों प्रतिवेदनों में उनकी अस्वीकृति की सिफारिश कर अधिक लागत वसूली के दृष्टान्तों का उल्लेख किया गया था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 24 (जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 19 की अनुवर्ती लेखापरीक्षा है) के प्रति लेखापरीक्षा अपवादों के विषय सहित एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा की गई कार्रवाई का पैरा वार सार और उनकी वर्तमान स्थिति अनुबंध-III में है। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रचालन पूर्व लेखापरीक्षाओं में इस विषय का विशेष उल्लेख किए जाने के बावजूद 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान समान विषयों पर अधिक लागत वसूली का दावा जारी रखा। अधिक निकासी लागत बने रहने के विशिष्ट उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

14.3.1.1 अनुमोदित ए.आई.डी.पी. में यथा परिकल्पित उत्पादन की प्राप्ति न करने के कारण गैस हैंडलिंग सुविधाओं का कम उपयोग

आरम्भिक विकास योजना के अनुपूरक (ए.आई.डी.पी.) के अनुसार 80 एम. एम.एस.सी.एम.डी.² के अनुमोदित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त न करने और सुविधाओं पर 2014 के ए.आर. सं. 24 (पैराग्राफ 2.6) में टिप्पणियां की गई थीं।

² एम.एम.एस.सी.एम.डी.- मिलियन मीट्रिक स्टेण्डर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन

एम.ओ.पी.एन.जी. ने परामर्श दिया था (मई 2012) कि वर्ष 2011-12 तक ब्लॉक में स्थापित यू.एस. \$1005 मिलियन (₹6043 करोड़)³ राशि की अवधि क्षमता की संचयी लागत वसूल करने के लिए प्रचालक हकदार नहीं था। एम.ओ.पी.एन.जी. के निर्देश के बावजूद प्रचालन ने इस राशि को 2012-13 तथा 2013-14 की लागत वसूली में शामिल करना जारी रखा।

चूंकि ए.आई.डी.पी. लक्ष्यों की तुलना में डी 1-डी 3 खोजों में वास्तविक संचयी उत्पादन वि.व. 2012-13 तक 39.23 प्रतिशत तक और ए.आई.डी.पी. के एम.सी. अनुमोदित लक्ष्य की तुलना में वि.व. 2013-14 तक 51.5 प्रतिशत तक निम्न था इसलिए एम.ओ.पी.एन.जी. ने इस अवधि के दौरान अतिरिक्त राशि को वसूली हेतु अस्वीकार्य परिकल्पित किया। वि.व. 2012-13 के लिए एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा अस्वीकृत राशि यू.एस. \$792 मिलियन (₹4762.29 करोड़) थी और 2013-14 के लिए यू.एस. \$579 मिलियन (₹3481.52 करोड़) थी कुल मिलाकर यू.एस. \$2376 मिलियन (₹14286.88 करोड़) की संचयी लागत वसूली उत्पादन सुविधाओं की अप्रयुक्त लागत के प्रति वि व 2013-14 तक अस्वीकृत की गई है। एम.ओ.पी.एन.जी. ने प्रचालक को सूचित किया था (जुलाई 2014) कि वित्त वर्ष 2013-14 तक इस अवधि के लिए ठेकेदार द्वारा सरकार को देय अतिरिक्त लाभ पेट्रोलियम (अनन्तिम) यू.एस. \$195.34 मिलियन (₹1174.58 करोड़) (2012-13 तक यू.एस. \$115 मिलियन और 2013-14 के लिए यू.एस. \$80 मिलियन) था। एम.ओ.पी.एन.जी. ने निर्देश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के अन्दर अतिरिक्त लाभ पेट्रोलियम जमा करने का भी निर्देश दिया था जिसका प्रचालक द्वारा पालन नहीं किया गया है।

उत्तर में प्रचालक ने बताया (अगस्त 2015) कि मामला मध्यस्थ निर्णयाधीन है और इसलिए निर्णयाधीन है। प्रचालन ने किसी भी पक्ष को किसी सम्भावित पूर्वाग्रह का परिहार करने के अध्यक्षीन टिप्पियां प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया।

उत्तर में डी.जी.एच ने बताया (जुलाई 2015) कि ठेकेदार को कम प्रदत्त लाभ पेट्रोलियम अभी तक प्रेषित करना है।

³ भारतीय ₹ को यू.एस.\$ में बदलने के लिए प्रयुक्त दर -27 मार्च 2014 को 1 यू.एस.\$ ₹60.13

14.3.1.2 उत्पादित और बेची गई गैस पर विपणन मार्जिन

जैसा पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2014 को सी.ए.जी. प्रतिवेदन सं. 24 का पैरा सं.2.8.3.1) में उल्लेख किया गया प्रचालन ने अपने ग्राहकों से गैस मूल्य तथा विपणन मार्जिन अलग प्रभावित करता है। गैस मूल्य यू.एस. \$4.205/एम.एम.बी.टी.यू. की दर पर प्रभावित किया जाता है और विपणन मार्जिन के लिए अतिरिक्त यू.एस. \$0.135/एम.एम.बी.टी.यू. प्रभावित किया जाता है। तथापि पी.पी. तथा रायल्टी संगर्णन करते समय प्रचालन अकेले गैस मूल्य (यू.एस. \$4.205/एम.एम.बी.टी.यू. की दर पर) विचार करता है जो लागत वसूली, पी.पी. तथा रायल्टी पर प्रभाव डालता है। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर एम.ओ.पी.एन.जी. ने बताया था (जून 2014) कि रायल्टी परिकलन के लिए विपणन मार्जिन शामिल करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वि.व. 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान विपणन मार्जिन के माध्यम से अर्जन यू.एस. \$63.78 मिलियन (₹383.51 करोड़) (वि.व. 2012-13 के लिए यू.एस. \$41.65 मिलियन और 2013-14 के लिए यू.एस. \$22.13 मिलियन) था जो राजस्व के रूप में नहीं माना गया है जिसका लागत वसूल, पी.पी. तथा रायल्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (ब्यौरे के लिए देखें अनुबंध-IV)

प्रचालक ने दोहराया (अगस्त 2015) कि कोई कानूनी अथवा वाणिज्यिक आधार नहीं है जो उत्पादित पेट्रोलियम और ठेका क्षेत्र में बचत का मूल्य परिकलित करते समय विपणन मार्जिन शामिल करने की ठेकेदार से अपेक्षा करता है।

लेखापरीक्षा दोहराती है कि प्रचालक का उत्तर पी.एस.सी. के ठेकागत प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। पी.एस.सी. का अनुच्छेद 27.2 कहता है कि कम्पनियों द्वारा बेचे गए पेट्रोलियम का अधिकार वितरण केन्द्र पर सुसंगत क्रेता पार्टी को हस्तांतरित होगा। जी.एस.पी.ए. के खण्ड 6 (क) के अनुसार वितरण केन्द्र पर गैस का विक्रय मूल्य यू.एस. डालर/एम.एम.बी.टी.यू. (एन.एच.वी⁴) में गैस मूल्य और यू.एस. डालर/एम.एम.बी.टी.यू. (एन.एच.वी) में विपणन मार्जिन का योग होगा। इस प्रकार, राजस्व में विपणन मार्जिन शामिल किया जाना चाहिए।

इस संबंध में मंत्रालय का अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित है।

⁴ निवल तापन मात्रा

14.3.1.3 एफ.पी.एस.ओ. चार्टर करने के लिए यू.एस. \$ 10.13 मिलियन अपटाइम बोनस का भुगतान

लेखापरीक्षा ने उल्लेखित किया है (2014 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 24 का पैरा 2.7.6.2 कि प्रचालन ने एफ.पी.एस.ओ.⁵ सुविधा (ए.सी.एफ.पी. से किराए पर) की उपलब्धता के लिए मै. एकर काट्रेकिंग एफ.पी.एस. नार्व (ए.सी.एफ.पी.) को अपटाइम बोनस का भुगतान किया था। इसके कारण ए.सी.एफ.पी. को अतिरिक्त लाभ हुआ क्योंकि एफ.पी.सी.ओ. की उपलब्धता ठेकागत प्रावधान था। मंत्रालय ने भी मामलों पर एक लेखापरीक्षा आपत्ति जारी की है। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एफ.पी.एस.ओ की उपलब्धता की ठेकागत शर्त को पूरा करने के लिए ए.सी.एफ.पी को अपटाइम बोनस के भुगतान की प्रथा वि.व. 2012-13 और 2013-14 से जारी थी। इसके कारण ए.सी.एफ.पी. को यू.एस. \$10.13 मिलियन (₹60.91 करोड़) का अतिरिक्त लाभ हुआ।

प्रचालक ने बताया (सितम्बर 2015) कि ए.सी.एफ.पी. से एफ.पी.एस.ओ. के दक्ष अनुरक्षण और मरम्मत के लिए सतत आधार पर अपनी बाध्यताओं को निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है और कर्तव्यों जो इस संबंध में ए.सी.एफ.पी. को करने हैं, की सूची भी निर्दिष्ट की गई है। प्रचालन ने यह भी उल्लेख किया (अप्रैल 2015) कि वह इस संबंध में एम.ओ.पी.एन.जी. द्वारा जारी लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं करता है।

लेखापरीक्षा अपनी पूर्व आपत्ति दोहराता है। प्रचालन का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ए.सी.एफ.पी. अपनी बाध्यता पूरी करने के लिए बाध्य है। ठेका अनुच्छेद 8.5, 8.11, 8.17 तथा प्रदर्शन डी अभिप्रेत कार्य हेतु उचित तथा अच्छी स्थिति में एफ.पी.एस.ओ. को बनाए रखने और सभी गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं, मानकों तथा मार्गनिर्देशों का पालन करने की अपेक्षा करता है। इसलिए प्रचालक द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य ए.सी.एफ.पी. की ठेकागत आध्यताओं के भाग थे जिनके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान अपेक्षित नहीं था।

⁵ एफ.पी.एस.ओ. फ्लोटिंग, उत्पादन, भण्डारण तथा उतारने

14.3.1.4 असम्बद्ध कुएं

लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया था (2014 के ए.आर. 24 का पैरा सं. 2.6.3) कि जुलाई 2013 तक आरम्भिक विकास योजना के अनुपूरक (ए.आई.डी.पी.) के अनुसार वेधन किए जाने को योजिता 50 कुएं पूर्ण नहीं किए जा सके। इसके बजाय प्रचालक 31 मार्च 2014 तक केवल 18 कुओं का वेधन, पूर्ण तथा सम्बद्ध कर सका था। लेखापरीक्षा ने यह भी उल्लेख किया कि अन्य चार कुओं, नामतः ए21, ए22, बी16 तथा एस.बी.1 का वेधन किया गया था (अगस्त 2010 से अगस्त 2011) परंतु डी.जी.एच. के निर्देशों के बावजूद उत्पादन सुविधाओं से जोड़े नहीं गये थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रचालक ने इन चार कुओं को सम्बद्ध नहीं किया है (अगस्त 2015)। प्रचालक ने यह कहते हुए अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया है कि ये कुएं उनको पूरा करने और सम्बद्ध करने पर किए गये अतिरिक्त कैपेक्स को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त वृद्धि मात्रा उत्पन्न नहीं करेंगे। तथापि, डी.जी.एच. सहमत नहीं हुआ है और फिर ज्ञात तथा उनमें मिलती नई परतों से गैस लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन पर उन कुओं को डालने के लिए शीघ्र ही कार्रवाई करने का प्रचालक को निर्देश दिया (जून 2014)। तथापि प्रचालन ने मामले में आगे कार्रवाई नहीं की है। यद्यपि इन कुओं ने डी 1-डी 3 क्षेत्र से उत्पादन में अंशदान नहीं किया है परंतु प्रचालक ने उनकी लागत के प्रति विव 2013-14 तक यू.एस. \$102.94 मिलियन (₹618.98 करोड़) वसूल किया है।

प्रचालक ने बताया (अगस्त 2015) कि चूंकि इन कुओं के वेधन की लागतें पेट्रोलियम प्रचालन करते समय उठाई गई हैं इसलिए ऐसी लागत वसूली हेतु सही प्रकार से शामिल की गई है। पी.एस.सी. प्रावधानों में से कोई भी ठेका लागतों में ऐसी लागतें शामिल करने से निषेध नहीं करता है जिससे प्रचालक के निश्चित विचार का समर्थन हो। प्रचालक ने आगे बताया है (अक्टूबर 2015) कि मामला मध्यस्थ निर्णयाधीन है।

14.3.1.5 ठेकेदार द्वारा धारित अधिक क्षेत्र का त्याग

लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया था (2014 के ए.आर. 24 का पैरा सं. 2.5.1) कि ब्लॉक का सम्पूर्ण ठेका क्षेत्र खोज क्षेत्र के रूप में माना गया था और ठेकेदार द्वारा रखा गया था। अक्टूबर 2013 में, एम.ओ.पी.एन.जी. ने पेट्रोलियम खनन

पट्टा के अंतर्गत 1148.12 वर्ग कि.मी. का धारण अनुमत कर 7645 वर्ग कि.मी. के कुल ठेका क्षेत्र में से 6198.88 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र छोड़ने के लिए ठेकेदार को निर्देश दिया। डी29, डी30, तथा डी31 (298 वर्ग कि.मी. क्षेत्र) के त्याग से संबंधित मामलों पर अलग से विचार किया जा रहा था। तथापि एमओपीएनजी के निर्देशों के प्रतिकूल ठेकेदार ने 831.88 वर्ग कि.मी. का अधिक क्षेत्र रोक कर केवल 5367 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र त्याग दिया। प्रचालक को रोके गए अधिक क्षेत्र से संबंधित ₹3.32 मिलियन पेट्रोलियम खोज लाइसेंस (पी.ई.एल.) फीस का भी भुगतान किया गया है।

प्रचालक ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2015) कि लेखापरीक्षा आपत्ति का संबंध जून 2014 से जून 2015 तक की पी.ई.एल. फीस के भुगतान से है और वर्तमान सीएजी लेखापरीक्षा से बाहर है। प्रचालक ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पी.ई.एल. फीस का भुगतान किया है।

उत्तर में, डी.जी.एच. ने बताया है कि प्रचालक को सूचित किया गया था कि लाइसेंस धारी द्वारा प्रदत्त पीईएल फीस की अधिक राशि बाद के वर्ष अथवा पेट्रोलियम तथा प्रकृति गैस नियमावली 1959 के नियम 11 (2) के अंतर्गत लाइसेंस धारी द्वारा धारित किसी अन्य क्षेत्र के लिए पी.ई.एल./पी.एम.एल.⁶ के फीस के प्रति समायोजित की जानी अपेक्षित होगी ।

प्रचालक द्वारा छोड़ा गया क्षेत्र एम.ओ.पी.एन.जी. के अक्टूबर 2013 के निर्देशों के अनुसार नहीं है। रोके गए अतिरिक्त क्षेत्र का त्याग मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर पी.ई.एल. फीस के अधिक भुगतान का समायोजन किए जाने की आवश्यकता है ।

14.4 वित्त वर्षों 2012-13 तथा 2013-14 के संबंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आपत्तियां

लेखापरीक्षा ने वि.व. 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान प्राप्त राजस्वों और उठाई गई लागतों का सत्यापन किया। विशेष रूप से निविदा आमंत्रण और ठेकों का दिया जाना, उनका निष्पादन और इस अवधि के दौरान उनके प्रति किए

⁶ पेट्रोलियम खनन पट्टा

गए भुगतानों की संवीक्षा⁷ की गई थी। लेखापरीक्षा में पीएससी प्रावधानों का अननुपालन, एमसी द्वारा अस्वीकृत किए जाने/अनुमोदित न किए जाने के बावजूद वसूली गई लागतें देखी गईं। एमओपीएनजी निर्देशो, डीजीएच निर्देशों के अननुपालन के उदाहरण भी देखे गए थे। देखे गए मामलों पर नीचे चर्चा की गई है।

14.4.1 व्यय से संबंधित मामलें

14.4.1.1 पीएससी द्वारा अधिदिष्ट परीक्षण प्रक्रिया का पालन न करना

प्रचालक ने प्रबंधन समिति (एमसी) समीक्षा हेतु चार खोजों नामतः डी29, डी30, डी31 तथा डी34 के लिए फरवरी 2010 में वाणिज्यिककर्ता की घोषणा (डी.ओ.सी.) प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। सभी चार खोजों के लिए ड्रिल स्टेम टेस्ट (डी.एस.टी.) नहीं किया गया था। उस रूप में एम सी इन खोजों की समीक्षा करने में असमर्थ था। डी34 खोज पर अतिरिक्त सूचना के प्रस्तुतीकरण के साथ एमसी ने डीएसटी पर जोर दिए बिना इस खोज की समीक्षा की। लेखापरीक्षा ने अपने पूर्व प्रतिवेदन (भारत के सी.ए.जी. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 की सं. 24 का पैराग्राफ 2.5.1) में सिफारिश की थी कि डी29, डी30 तथा डी31 क्षेत्रों में वेधे गए कुओं की लागत अस्वीकृत की जाए यदि वे बाद में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाए जाते हैं।

मई 2015 में (अधिसूचना दिनांक 13 मई 2015 के द्वारा) एमओपीएनजी ने दोषी ठेकेदारों को तीन विकल्प प्रस्तुत किए जिन्होंने खोजों के लिए डीएसटी परीक्षक आवश्यकता को पूरा नहीं किया था। अधिसूचना में विशेष रूप से तीन खोजों, डी29, डी30 तथा डी31 जिनके लिए डीएसटी नहीं किया गया था, का उल्लेख किया गया। विकल्पों में अन्य बातों के साथ निम्न प्रावधान थे:

- विकल्प 1: खोजों से संबंधित ठेका क्षेत्र को छोड़ना,
- विकल्प 2: ताजा परीक्षण करें और इस शर्त के साथ संशोधित डीओसी प्रस्तुत करें कि परीक्षण के लिए उठाई गई लागत (डी.एस.टी.) का केवल 50 प्रतिशत यू.एस. 15 मिलियन शीर्ष के साथ लागत वसूली के लिए

⁷ 50 लाख यू.एस. \$ से अधिक के 100% ठेकों (21) 25 से 50 लाख यू.एस. \$ के बीच 75% ठेकों (10) 10 से 25 लाख यू.एस. \$ के बीच के 25% ठेकों (8) और 10 लाख यू.एस. \$ से कम के 5% ठेकों (10) की संवीक्षा की गई थी।

अनुमत किया जाएगा। ऐसी खोजों के संबंध में पूर्व ठेकेदारों द्वारा उठाए गए एम.डी.टी. की लागत वसूली हेतु अनुमत नहीं की जाएगी, और

- विकल्प 3: डी.एस.टी. किए बिना खोज के विकास के लिए आगे बढ़े परन्तु ऐसे विकास की लागत वसूली रिग फेन्सड होगी। लागत वसूली केवल तभी अनुमत की जाएगी जब ये खोजें अन्ततः वाणिज्यिक होने में बदल जाएगी।

अधिसूचना के अनुसार विकल्प का चयन जून 2015 के अंत तक किया जाना था (29.04.2015 के सीसीईए अनुमोदन के 60 दिनों के अन्दर)

तदनुसार, तीन खोज क्षेत्रों के लिए, प्रचालक ने डी31 छोड़ने और डी 29 तथा डी 30 के लिए डीएसटी का निर्णय लिया है। जीओआई नीति दिनांक 13 मई 2015 के अनुसार ब्लॉक में डी29 तथा डी30 खोजों में डी.एस.टी. करने के लिए बी.ई. 2015-16 कार्य कार्यक्रम एवं बजट (डब्ल्यू.पी. एण्ड बी.) के अनुपूरक का एम.सी. ने अनुमोदन किया (जुलाई 2015)। इस संदर्भ में लेखापरीक्षा की निम्नलिखित आपत्तियां हैं:

- क्योंकि डी31 ठेकेदार द्वारा त्याग दिया जाएगा इसलिए डी31 पर उठाई गई सम्पूर्ण लागत पूर्व लेखापरीक्षा सिफारिश के अनुरूप अस्वीकृत की जानी चाहिए। डी31 की खोज पर उठाई गई लागत यू.एस. \$15.13 मिलीयन (₹90.98 करोड़) थी जिसे अस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है। इसके मूल्यांकन पर बाद में अतिरिक्त लागतें वसूली की गई हैं, लागत वसूली वि.व. 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान भी जारी है। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रचालक ने अलग से प्रत्येक खोज क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए लागत अभिलेख बनाए नहीं है। उस रूप में डी31 से संबंधित मूल्यांकन लागतें लेखापरीक्षा में परिकलित नहीं की जा सकीं। डी31 को मूल्यांकन लागतें उचित प्रकार आंबटित करना और इन खर्चों को अस्वीकृत करना आवश्यक है।
- डी29 तथा डी30 की खोज तथा मूल्यांकन लागतें केवल तभी वसूल की जा सकती हैं यदि वे खोजे डी.एस.टी. के आधार पर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य होनी पाई जाती हैं। यह देखा गया था कि प्रचालक ने इन खोजों की लागतें लगातार वसूल की हैं (डी29, डी30 तथा डी31 के लिए वि.व.

2012-13 में यू.एस. \$1.19 मिलियन और वि.व. 2013-14 के लिए यू.एस. \$3.75 मिलियन)। डी29 तथा डी30 से संबंधित खर्चों की वसूलनीयता खोजों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर होगी ।

- एम.ओ.पी.एन.जी. के निर्देश के अंतर्गत दिए गए (अधिसूचना दिनांक 13 मई 2015) एम.सी. अनुमोदन (जुलाई 2015) के अनुसार डी29 तथा डी30 में एम.डी.टी. की लागत, लागत वसूली हेतु अनुमत नहीं होगी। प्रचालक ने प्रत्येक खोज के लिए अलग एमडीटी लागतों का अनुरक्षण नहीं किया था। लेखापरीक्षा के बताए जाने पर प्रचालक ने सूचित किया (अक्टूबर 2015) कि डी29 के लिए एमडीटी की लागत यू.एस. \$84832.23 और डी30 की यू.एस. \$103435.35 थी। तथापि प्रचालक ने इस मात्रा को इसका ध्यान दिए बिना कि क्या एम.डी.टी. कार्यस्थल पर निष्पादित की गई थी अथवा नहीं, रिग संचालन के आधार पर कुल एम.डी.टी. लागत के आबंटन के माध्यम से परिकलित किया गया है। क्योंकि एमडीटी विशेषीकृत सेवा है इसलिए इसकी लागत को विशेष कुओं को बांट देने की आवश्यकता है जहां परीक्षण किया गया है। ऐसी विशेष सूचना के अभाव में प्रचालक द्वारा तथा परिकलित डी29 तथा डी30 की एम.डी.टी. लागत की यथार्थता पर लेखापरीक्षा टिप्पणी नहीं कर सकता है।

प्रचालक ने एम.ओ.पी.एन.जी. को सूचित किया कि डी31 छोड़ दिया गया है और डीएसटी डी29 तथा डी30 के लिए की जाएगी । प्रचालक ने यह भी बताया (अगस्त 2015) कि व्यय संलग्न खोजों के साथ एकीकृत विकास के लिए डी29 तथा डी30 खोजों पर किया गया था ।

डी31 के त्याग से संबंधित प्रचालक की पुष्टि के मददेनजर डी31 से संबंधित खोज तथा मूल्यांकन पर लागत वसूलियों को परिकलित और उलटे जाने की आवश्यकता है। डी29 तथा डी30 पर उठाई गई लागतों की वसूली डी.एस.टी. अपनाकर इन खोजों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी। डी29 तथा डी30 की एम.डी.टी. लागत को अनुपातिक रूप से बांटे जाने और उलटे जाने की आवश्यकता है ।

14.4.1.2 अनुमोदित क्षेत्र में उपयोग न की गई सेवाओं की लागत वसूली के लिए व्यय का आवंटन

प्रचालक ने खोजों डी 29, डी 30 तथा डी 31 में से एक में डी.एस.टी. करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था (अक्टूबर/नवम्बर 2012)। बाद में प्रस्ताव सभी तीन कुओं में डी.एस.टी. करने के लिए संशोधित किया गया था (मई 2013)। इन तीन खोजों में डी.एस.टी. करने के लिए बजट अनुमान यू.एस. \$93 मिलियन (वि.व. 2013-14 के डब्ल्यू.पी.बी. के अनुसार) था।

प्रचालक ने डी.एस.टी. सेवाओं का ठेका मै. श्लूमबर्गर एशिया सर्विसेज लिमिटेड को सौंप दिया (अप्रैल 2013)। तथापि सेवाएं के.जी.- डी.डब्ल्यू.एन. -98/3 ब्लॉक में तीन निर्दिष्ट खोजों (डी-29, डी-30 तथा डी-31) के लिए उपयोग नहीं की गई थीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रचालक ने के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. -98/3 ब्लॉक के डी एस टी के लिए यू.एस. \$4 मिलियन की राशि प्रभारित की है (ब्यौरे अनुबन्ध-V में हैं), यद्यपि डी एस टी सेवाएं ब्लॉक के अनुमोदित क्षेत्रों में उपयोग नहीं की गई थीं। इसने ब्लॉक के जी-डी डब्ल्यू एन- 98/3 की लागत वसूली बढ़ा दी है और इसके प्राफिट पेट्रोलियम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

प्रचालक ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2015) कि डी एस टी सेवाओं के किराया प्रभार रिगों के नियोजन के आधार पर विभिन्न ब्लॉकों को प्रभारित किए गए हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि डी.एस.टी. पैकेज के संघटक न केवल डी.एस.टी. प्रचालनों के दौरान उपयोग किए जाते हैं बल्कि जब और आवश्यकता होती है, असमापन/कार्य आद्योपान्त प्रचालनों के दौरान भी उपयोग किए जाते हैं। इस पर विचार कर कि यह एक लम्बी लीड मद है, सम्पूर्ण पैकेज प्रचालक द्वारा जुटाया और सभी समय पर अबाधित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षित किया जाता है। तदनुसार, इसके बावजूद कि क्या वास्तविक डी.एस.टी. प्रचालन किए गए हैं अथवा नहीं, सेवाओं से सम्बद्ध लागते कुओं (अन्वेषणात्मक अथवा अन्यथा) की प्रभारित की गई थीं जो इस अवधि के दौरान वेधे गए थे और खोज डी 29, डी 30 तथा डी 31 में कोई लागत दर्ज नहीं की गई है।

उत्तर निम्नलिखित के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है:

- डी.एस.टी. एक विशेषज्ञीकृत सेवा है जो यद्यपि के जी-डी डब्ल्यू एन-98/3 ब्लॉक में डी 29, डी 30 तथा डी 31 के लिए अभिप्रेत किंचित इन खोज क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया गया था। इसके बजाए सेवाएं अलग पी.एस.सी. द्वारा शासित सी वाई-डी.डब्ल्यू.एन. ब्लॉक तथा एम.जे. क्षेत्र में उपयोग की गई थीं। पी.एस.सी. की धारा 2 के पैरा 2.2 के अनुसार पेट्रोलियम की खोज में उठाई गई अन्वेषण लागतों के सभी प्रत्यक्ष और आवंटित अप्रत्यक्ष व्यय उसी क्षेत्र को बुक किए जाने हैं। उस रूप में, विशेषज्ञीकृत डी.एस.टी. सेवाओं की लागत वास्तविक उपयोग आधार पर क्षेत्रों को आवंटित की जानी चाहिए न कि रिगों के नियोजन के आधार पर।

इस प्रकार डी.एस.टी. सेवाओं की सम्पूर्ण लागत सी.वाई.-डी.डब्ल्यू.एन. ब्लॉक तथा एम.जे. खोज क्षेत्र, जहाँ सेवाएं वास्तव में उपयोग की गई थीं, में कुओं को प्रभारित की जानी चाहिए थी। के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. 98/3 ब्लॉक को इन लागतों को आवंटित करने के द्वारा ब्लॉक की लागत वसूली प्रोफिट पेट्रोलियम पर आनुपातिक प्रतिकूल प्रभाव के साथ यू.एस. \$4 मिलियन (₹24.05 करोड़) तक अधिक बताई गई थी।

14.4.1.3 रिग के जुटाव से पूर्व श्रेणीकरण/परिवर्तन न करने के कारण रिग आपात उपयोगी प्रभारों के लिए यू.एस. \$10.12 मिलियन की अतिरिक्त लागत वसूली

अप्रैल 2008 के दौरान प्रचालक ने इसके जुटाव के समापन की तारीख से 60 महीनों की अवधि के लिए रिग धीरूभाई डीप वाटर के.जी. 2 (डी.डी.के.जी. 2) को किराए पर लेने के लिए मै. डीपवाटर पैसिफिक 1 इंक के साथ एक करार किया। रिग मार्च 2010 में निर्मित और जुटाई गई थी। बाद में प्रचालक ने रिग डी.डी.के.जी. 2 का उन्नयन करने के लिए ठेकेदार से अनुरोध किया (मार्च 2011)। रिग का उन्नयन अन्य बातों के साथ अनिवार्य था क्योंकि क्षेत्र में जल उत्पादन हुआ था। उन्नयन जनवरी 2012 तक पूर्ण हुआ था। रिग इसके उन्नयन की अवधि के दौरान आपात उपयोगी रही। प्रचालक ने

उन्नयन/परिवर्तन की अवधि के दौरान रिग आपात उपयोगी प्रभारों के रूप में यू.एस. \$10.12 मिलियन की राशि का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी 1-डी 3 में जल उत्पादन रिग डी.डी.के.जी. 2 के जुटाव से काफी पहले अक्टूबर 2009 से देखा गया था। उस रूप में प्रचालक को इसकी निर्माण (जुटाव से पूर्व) अवधि के दौरान रिग के उन्नयन की योजना और किया जाना चाहिए था जिससे यू.एस. \$10.12 मिलियन के आपात उपयोगी प्रभारों का परिहार किया गया होता।

उत्तर में प्रचालक ने बताया (सितम्बर 2015) कि वर्क ओवर प्रणाली के प्रयोजन हेतु रिग का आरम्भिक सर्वेक्षण फरवरी 2010 में किया गया था। तदनुसार सेवा प्रदाताओं ने उद्धरण और लांग लीड रिग विशिष्ट मर्दों की सुपुर्दगी प्रस्तुत की। अवतरण डोर ठेका प्रचालक द्वारा मई 10, 2012 को किया गया था। इससे उनके उपकरणों की विभिन्न कार्यात्मकता और पदचिन्हों को ध्यान में रखकर रिग सर्वेक्षणों की और आवश्यकता हुई एक बार हस्तक्षेप तथा वर्क ओवर अभियान की पुष्टि हो जाने पर उन्नयन कार्य आरम्भ किए गए थे। रिग डी.डी.के.जी. 2 का जुटाव (मार्च 2010) करने से पूर्व परिवर्तन/उन्नयन न करने के प्रमुख कारण थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.98/3 ब्लॉक का ए.आई.डी. पी.एम.सी. द्वारा दिसम्बर 2006 में अनुमोदित किया गया था। ए.आई.डी.पी. लक्ष्यों के अनुसार प्रचालक से के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. -98/3 ब्लॉक के डी 1-डी 3 क्षेत्र में 50 उत्पादक कुओं का वेधन करने की अपेक्षा की गई थी। क्योंकि रिग डी.डी.के.जी. 2 हायर करने के लिए करार करने के समय पर विकास कुओं के वेधन के लिए एक विद्यमान योजना भी और क्योंकि जल उत्पादन देखा गया था जिससे इसके जुटाव से पूर्व रिग के उन्नयन की आवश्यकता हुई इसलिए प्रचालक को रिग का उन्नयन पहले ही आरम्भ करना चाहिए था। पश्च जुटाव एक अलग परियोजना के रूप में रिग का उन्नयन करने के कारण यू.एस. \$10.12 मिलियन (₹60.85 करोड़) की राशि के आपात उपयोगी प्रभारों पर परिहार्य व्यय हुआ। चूंकि ये प्रभार लागत वसूली हुए हैं इसलिए इसके कारण अधिक लागत वसूली हुई जिसने प्रोफिट पेट्रोलियम तथा सरकारी आय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

14.4.2 राजस्व से संबंधित विषय

14.4.2.1 मै. अकेर कांटेक्टिंग एफ.पी.ए.एस.ए. द्वारा उठाई गई हानियों के कारण बकाया भारतीय विदहोल्डिंग कर के प्रतिदाय की प्राप्ति न होना

प्रचालक ने एक एफ.पी.एस.ओ. किराए दर लेने के लिए मै. अकेर कान्ट्रेक्टिंग एफ.पी.एस.ए. नार्वे (अकेर) को मई 2007 में एक ठेका दिया था। ठेका का खण्ड 5.4, अन्य बातों के साथ प्रावधान करता है कि आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत 4.182 प्रतिशत की दर पर अकेर को ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले भुगतानों को भारतीय विदहोल्डिंग कर लागू है। दोहरे कराधान से बचने के लिए नार्वे किंगडम तथा भारतीय संघ के बीच अनुबन्ध के अनुसार अकेर भारत में प्रदत्त आयकर के बराबर राशि का आवास के अपने देश में आय पर कर से कटौती का पात्र है। यह क्रेडिट अकेर द्वारा ठेकेदार को अन्तरित किया जाना है।

तथापि, अकेर द्वारा उठाई गई हानियों के लिए यह आवास के अपने देश में करों का भुगतान नहीं करता है। इसलिए ठेकेदार को कोई क्रेडिट अन्तरित नहीं किया जा रहा है। 2009-13 की अवधि में ठेकेदार ने इसके लिए एन.ओ.के. 131.61 मिलियन (यू.एस. \$17.10 मिलियन ~ ₹102.82 करोड़) का क्रेडिट छोड़ दिया है। प्रचालक को प्रदत्त विदहोल्डिंग कर की राशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

प्रचालक ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा सुझाव को नोट (अगस्त 2015) कर लिया है और आश्वासन दिया कि प्रचालक विक्रेता से क्रेडिट प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा वशर्ते विक्रेता आवास के अपने देश में प्रदत्त विदहोल्डिंग कर के संबंध में कर क्रेडिट प्राप्त करता है।

14.5 निष्कर्ष

2006-12 की अवधि में के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. -98/3 ब्लॉक में हाइड्रोकार्बन पी एस.सी. का कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा की गई थी और 2011-12 के पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (ए.आर.) सं. 19 और 2014 के ए.आर. सं. 24) में सूचित किया गया था। 2012-14 की अवधि को कवर कर वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि अधिकांश विषय जिसका पूर्व लेखापरीक्षाओं में

उल्लेख किया गया था और जिन पर लेखापरीक्षा आपत्तियां मंत्रालय द्वारा जारी की गई थीं, अभी बनी हुई हैं। इन मदों पर 2012-14 के दौरान अधिक लागत वसूली का कुल वित्तीय प्रभाव यू.एस.डी. 1547.85 मिलियन (₹9307.22 करोड़) था। प्रचालक ने इन कुछ आपत्तियों पर मध्यस्थ निर्णय का सहारा लिया है (गैस प्रहस्तन सुविधाओं का कम उपयोग और असम्बद्ध कुआं) और ये मामले वर्तमान में अनुत्तरित खड़े हैं।

2012-14 की अवधि को कवर कर वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान प्रचालक द्वारा इन मदों पर ली गई निवल अधिक लागत वसूली यू.एस.डी. 46.35 मिलियन (₹278.70 करोड़) होने पर अधिक लागत वसूली के अतिरिक्त मामले देखे गए थे। वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया एक महत्वपूर्ण मामला डी 29, डी 30 कुआं के लिए परीक्षण (एम.डी.टी.) पर की गई लागत वसूली है, जिसे उचित प्रकार बांटे जाने और हाल ही के एम.ओ.पी.एन.जी. निर्देश (मई 2015) के मद्देनजर उलटे जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रचालक ने डी 31 खोज छोड़ दी है और इस खोज से सम्बन्धित पहले ही कर ली गई लागत वसूलियों को उलटे जाने की आवश्यकता होगी। अन्य ब्लॉकों में प्रयुक्त सेवाओं को ब्लॉक की लागतों को आवंटन आदि सहित प्रचालक द्वारा अधिक लागत वसूली के उदाहरण देखे गए थे।

इसके अतिरिक्त के.जी.- डब्ल्यू.डी.एन. -98/3 तथा ओ.एन.जी.सी. प्रचालित समीपस्थ ब्लॉकों के बीच भण्डार निरन्तरता पर नवम्बर 2015 में प्रस्तुत स्वतन्त्र विशेषज्ञ मैसर्स डीगोल्पर एवं मैकनाटन (डी एण्ड एम) की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ओ.एन.जी.सी. ब्लॉक से के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन. - 98/3 ब्लॉक को गैस स्थानान्तरित की गई है, जिसका पर्याप्त भाग पहले ही उत्पन्न किया गया है, जो के.जी. - डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान में रिपोर्ट एक सदस्यीय समिति के विचाराधीन है।

रिपोर्ट अक्टूबर 2015 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को जारी की गई थी। उसके लिए मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (फरवरी 2016)।